न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 16 / 2010

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
रेहमत खॉ पुत्र श्री दाऊद खॉ जाति मुसलमान (सिन्धी) निवासी सिन्धीनगर कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. गनी खॉ पुत्र श्री दाऊद खॉ 2. सफरू खॉ पुत्र श्री गनीखॉ 3. समसु खॉ पुत्र श्री गनीखॉ 4. रजाक खॉ पुत्र श्री गनीखॉ 5. अल्लारख खॉ पुत्र श्री गनीखॉ 6. उमर खॉ पुत्र श्री गनीखॉ 7. ताजू खॉ पुत्र श्री सफरू खॉ 8. सलीम पुत्र समसू खॉ 9. जमालदीन पुत्र समसूखॉ 10. हाजी खॉ पुत्र समदू खॉ 11. ईस्माईल खॉ उर्फ दिनेखॉ पुत्र समसु खॉ 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा 13. सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 25.05.2017

पत्रावली आज बमुकाम ओलवी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुई। वकील प्रतिवादी व पैरोकार सरकार उपस्थित पैरोकार सरकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश करना नही चाहते है अतः अप्रार्थी संख्या 12 व 13 का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। वकील अप्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का पंजीबद्ध दस्तावेज से बैचान हो चुका है। वादग्रस्त भूमि को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य विवाद नही रहा है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैशलसुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद 26 / 2010 रहमत खॉ बनाम गनी खॉ वगैराह के साथ संलग्न हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा